सत्यमेव जयते

भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजाइन विशेषज्ञता लाने के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
का घटक

विकास आयुक्त

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजाइन विशेषज्ञता लाने के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का घटक

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त का कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110 108
www.dcmsme.gov.in

नवम्बर, 2010

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 द्वारा प्रकाशित तथा
तारा आर्ट प्रिंटर्स प्रा.लि. बी–4, हंस भवन, नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित

माधव लाल
अपर सचिव एवम्
विकास आयुक्त
MADHAV LAL
Additional Secretary &
Development Commissioner

सत्यमेव जयते
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
'A' WING, 7TH FLOOR, NIRMAN BHAVAN,
NEW DELHI-110108
Phones : 23061176, Fax : 23062315

3 मई, 2010

प्राक्कथन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) शुरू किया है। एनएमसीपी के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना और विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा संरक्षित करना, तथा साथ ही भारतीय एमएसएमई उत्पादों का घरेलू व वैश्विक बाजार अंश बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत, 10 घटकों की संकल्पना की गई है:

- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना
- गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी होने में मदद करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आईसीटी (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) का संवर्धन
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन समर्थन (टीइक्यूयूपी)
- विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
- लघु एवं मध्यम उद्यमों को विपणन समर्थन/सहायता (बार कोड)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लीनिक योजना
- मिनी टूल रूमों की स्थापना
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान
- इन्क्यूबेटरों के द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के उद्यमिता व प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग

इस पुस्तिका में 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना' के मार्गनिर्देश शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र एवं डिजाइन विशेषज्ञों को एक सामान्य मंच पर लाना है तथा उन्हें अपनी डिजाइन संबंधी वास्तविक समस्याओं के लिए विशेषज्ञतापूर्ण सलाह एवं लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा/नए उत्पादों में सुधार आएगा और मूल्य संवर्धन होगा।

एनएमसीपी की सफलता राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे तकनीकी संस्थानों और पेशेवरों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी पर निर्भर है।

आशा है कि लघु पुस्तिकाओं के रूप में दिशानिर्देशों के इस प्रकाशन से योजनाओं के उद्देश्यों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए परिकल्पित भूमिका और प्रक्रिया के बारे में सूचना के प्रचार एवं प्रसार में सहायता मिलेगी।

माधव लाल

(माधव लाल)

(भारत के राजपत्र, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
'ए' विंग, 7वां तल, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110 108

सं. 17(2)/2/08-एमई 15 फरवरी, 2010

अधिसूचना

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लीनिक योजना' को अनुमोदित किया है, जिसकी कुल बजट राशि 73.58 करोड़ रुपये (49.08 करोड़ रुपये के भारत सरकार के योगदान सहित) है और इसे 11वीं योजना अवधि के दौरान लागू किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वास्तविक डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह तथा सस्ते समाधान प्रदान करना है ताकि नए उत्पाद विकास अथवा विद्यमान उत्पादों के लिए मूल्य वर्धन के माध्यम से वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

2. योजना का ब्यौरा और दिशानिर्देश विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(अभय बाकरे)
संयुक्त विकास आयुक्त

प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस
फरीदाबाद

प्रति सूचनार्थ :

1. मुख्य सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. सभी आयुक्त/उद्योग निदेशक (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली
6. योजना आयोग (पीएएमडी, वीएसई)
7. संस, एनएमससीसी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली
8. एएस एंड एफए, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
9. मुख्य लेखा नियंत्रक, डीआईपीपी, उद्योग भवन, नई दिल्ली
10. बजट व लेखा अनुभाग, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
11. महानिदेशक, ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो, सेवा भवन, नई दिल्ली
12. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और एडवाइजरी कमेटी के सदस्य (पीएमएसी)
13. सभी निदेशक, एमएसएमई-डीआई/निदेशक, एमएसएमई परीक्षण केन्द्र/सभी शाखा-डीआई
13. मानक सूची के अनुसार विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में आंतरिक परिचालन

(अभय बाकरे)
संयुक्त विकास आयुक्त

भारत सरकार

विकास आयुक्त कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

'ए' विंग, 7वां तल, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110 108

सं. 17(2)/2/08-एमई 15 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डिजाइन संबंधी विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना।

1.0 प्रस्तावना

सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए डिजाइन संबंधी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

डिजाइन क्लिनिक योजना का उद्देश्य डिजाइन एवं नवप्रवर्तनों की औद्योगिक समझ एवं अनुप्रयोग को बढ़ाना है, तथा डिजाइन को मूल्यसंवर्धनकारी कार्यकलाप के रूप में बढ़ावा देना है और इसे एमएसएमई की मुख्यधारा के व्यवसायों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करना है।

2.0 योजना

योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों का उद्देश्य डिजाइन के महत्व संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना है तथा एमएसएमई के बीच डिजाइन सीखने की योग्यता उत्पन्न करना है ताकि डिजाइन के माध्यम से उनके उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। योजना को दो मुख्य भागों अर्थात् डिजाइन जागरूकता एवं डिजाइन परियोजना कार्य में विभक्त किया गया है। सकल योजना बजट 73.58 करोड़ रुपये होगा जिसमें से 49.08 करोड़ रु. भारत सरकार की सहायता होगी तथा शेष राशि लाभान्वित

एमएसएमई द्वारा अंशदान के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लगभग 200 क्लस्टर कवर किए जाएंगे।

2.1 कार्यक्रम प्रबंधन

योजना के कार्यान्वयन के लिए समस्त मार्गदर्शन एवं निर्देशन उपलब्ध कराने के लिए अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुवीक्षण एवं सलाहकार समिति (पीएमएसी) का गठन किया जाएगा। पीएमएसी दिल्ली एवं प्रादेशिक केन्द्रों में डिजाइन केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करने, संगोष्ठी के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करने, एवं डिजाइनरों/डिजाइन परामर्शदाताओं/डिजाइन संस्थानों के पैनल बनाने एवं वैयक्तिक एमएसएमई/एमएसएमई समूह/विद्यार्थियों, आदि के लिए डिजाइन परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु उत्तरदायी होगी।

राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद को योजना के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन क्लिनिकों के प्रशासन के उद्देश्य से एनआईडी दिल्ली तथा चार प्रादेशिक केन्द्रों में डिजाइन क्लिनिक केन्द्र स्थापित करेगा। दिल्ली स्थित केन्द्र मुख्य प्रलेखन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में पीएमएसी की सहायता करेगा। डिजाइन के महत्व के संबंध में सामान्य जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने, एमएसएमई के लिए संगोष्ठियां आयोजित करने, तथा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं, आदि संचालित करने के लिए विशेष भूमिका वहन करने वाले सक्षम तकनीकी संस्थानों/एजेन्सियों के माध्यम से राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान द्वारा प्रादेशिक केन्द्रों का प्रचालन किया जाएगा।

2.2 डिजाइन संबंधी जागरुकता - संगोष्ठी एवं कार्यशाला

इसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए डिजाइन के महत्व एवं शक्ति के संबंध में सामान्य जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करना है। यह कार्य चुनिंदा क्लस्टरों के सहभागी एमएसएमई के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और डिजाइन आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा।

प्रत्येक संगोष्ठी के संचालन के लिए भारत सरकार का अंशदान जो 60,000 रुपए (साठ हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं होगा, स्वीकृत किया जाएगा। एक कार्यशाला (डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने सहित) के आयोजन के लिए भारत सरकार की सहायता स्वीकृत लागत के 75 प्रतिशत

तक होगी जो कि 4,00,000 रुपये (चार लाख रुपए मात्र) तक सीमित होगी (अर्थात भारत सरकार की अधिकतम सहायता 3,00,000 रु. मात्र होगी)। शेष राशि सहभागी एमएसएमई द्वारा अंशदान के रूप में दी जाएगी।

2.3 डिजाइन परियोजनाएं

फंडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्लस्टर में पेशेवर परामर्शदाताओं और वैयक्तिक इकाइयों (अथवा इकाइयों के समूह) के बीच आगे के संवाद स्थापित करने के लिए डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आधार गठित करेगा। एमएसएमई को डिजाइन परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त करने तथा परियोजना के तहत स्वीकृत अन्य विषयों के लिए योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार फंडिंग समर्थन के लिए सभी आवेदन अनिवार्य रूप से डिजाइन संबंधी अपेक्षित सहायता के प्रार्थी एमएसएमई डिजाइन/डिजाइन कम्पनी/अकेडेमिक संस्थान, जो सहायता प्रदान करेगा, के बीच सहयोग से होने चाहिए।

वैयक्तिक एमएसएमई अथवा दल, जिसमें तीन एमएसएमई आवेदकों से अधिक न हों, के मामले में यह फंडिंग सहयोग कुल अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 9.0 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

चार अथवा इससे अधिक एमएसएमई आवेदकों के दल के मामले में यह सहयोग कुल अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 15.0 लाख रुपए जो भी कम हो, तक होगा।

योजना के तहत भारत सरकार की सहायता एमएसएमई के लिए बनाई गई अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की अनुमोदित परियोजनाओं के संदर्भ में किए गए व्ययों के 75 प्रतिशत (अधिकतम 1.5 लाख रुपए के अधीन) तक होगी।

एमएसएमई के लिए आयोजित की जा रही कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के अलावा डिजाइन परामर्शदाताओं के लिए लगभग पांच ओरिएन्टेशन कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ओरिएन्टेशन कार्यशाला का उद्देश्य डिजाइन परामर्शदाताओं को संवेदी बनाना तथा उनका रुख एमएसएमई से संबंधित डिजाइन क्लिनिक योजना तथा विषयों के लक्ष्यों की ओर करना है। एनआईडी डिजाइनरों के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों एवं पेशेवरों की सहायता लेकर आवश्यक प्रबंध करेगा।

3.0 योजना के मार्गनिर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा संलग्न हैं। ये मार्गनिर्देश विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

(अभय बाकरे)

संयुक्त विकास आयुक्त

संलग्नक : योजना के मार्गनिर्देश

प्रति सूचनार्थ :

1. मुख्य सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. सभी उद्योग आयुक्त/निदेशक (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. योजना आयोग (पीएएमडी, वीएसई)
6. सदस्य सचिव, एनएमसीसी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली
7. एएस एवं एफए, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
8. मुख्य लेखा नियंत्रक, डीआईपीपी, उद्योग भवन, नई दिल्ली
9. बजट एवं लेखा अनुभाग, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
10. निदेशक, राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद
11. परियोजना अनुवीक्षण एवं सलाहकार समिति (पीएमएसी) के सदस्य
12. सभी निदेशक, एमएसएमई-डीआई/निदेशक, एमएसएमई परीक्षण केन्द्र/सभी शाखा एमएसएमई-डीआई
13. मानक सूची के अनुसार विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में आंतरिक रूप से जारी करने के लिए।

(अभय बाकरे)

संयुक्त विकास आयुक्त

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
संक्षिप्ताक्षर		1
1.0	प्रस्तावना	2
2.0	सिंहावलोकन	3
3.0	योजना	4
4.0	डिजाइन संबंधी जागरुकता – संगोष्ठियां और कार्यशालाएं	5
5.0	डिजाइन परियोजना	7
6.0	योजना कार्यान्वयन	20
अनुबंध–1		
डिजाइन क्लिनिक योजना फंडिंग सहायता हेतु आवेदन		27
अनुबंध–2		
अनुमोदित परियोजना की डिजाइन क्लिनिक योजना प्रगति रिपोर्ट		34
अनुबंध–3		
डिजाइन क्लिनिक मूल्यांकन फार्म		38
अनुबंध–4		
अनुमोदित परियोजना की डिजाइन क्लिनिक योजना समाप्ति रिपोर्ट		46

संक्षिप्ताक्षर

एपी	–	मूल्यांकन पैनल
डीसी (एमएसएमई)	–	विकास आयुक्त (एमएसएमई), भारत सरकार
डीपीआर	–	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
जीओआई	–	भारत सरकार
आईपीआर	–	बौद्धिक संपदा अधिकार
एमएसएमई	–	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसएमई-डीआई	–	डीसी (एमएसएमई) के तहत एमएसएमई विकास संस्थान
एनआईडी	–	राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद
एनएमसीपी	–	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
पीएमएसी	–	परियोजना अनुवीक्षण एवं सलाहकार समिति

1.0 प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के भाग के रूप में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार 11वीं योजनावधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को डिजाइन विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

1.2 डिजाइन क्लिनिक योजना का उद्देश्य डिजाइन एवं नवप्रवर्तनों की समझ एवं अनुप्रयोग को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य डिजाइन को मूल्यसंवर्धनकारी कार्यकलाप के रूप में बढ़ावा देना है और इसे एमएसएमई के मुख्यधारा के व्यवसायों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करना है। यह योजना एमएसएमई के विनिर्माण से संबंधित खंड की सहायता करने के दीर्घावधि लक्ष्य के अनुपालन में मूल्य श्रृंखला को ''वास्तविक उपकरण विनिर्माण'' से ''वास्तविक डिजाइन विनिर्माण'' के माध्यम से ''वास्तविक ब्रांड विनिर्माण'' की ओर ले जाने के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

1.3 योजना के कार्यान्वयन में भारतीय एमएसएमई और डिजाइन संबंधी विशेषज्ञता को एक सामान्य मंच पर लाने के लिए अपनाया जाएगा। इससे एमएसएमई अपनी डिजाइन संबंधी वास्तविक समस्याओं के लिए विशेषज्ञतापूर्ण सलाह एवं लागत प्रभावी समाधान तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे, जिसमें भारत सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी। ऐसे हस्तक्षेपों का संभावी परिणाम नए उत्पाद विकास अथवा डिजाइन में सुधार एवं मौजूदा उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन के रूप में सम्मुख आएगा। योजना का कुल बजट 73.58 करोड़ रुपए होगा जिसमें भारत सरकार की सहायता 49.08 करोड़ रुपए होगी तथा शेष राशि लाभार्थी एमएसएमई द्वारा प्रदान की जाएगी।

1.4 राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद को योजना के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.0 सिंहावलोकन

2.1 डिजाइन एक संरचनात्मक सृजनात्मक प्रक्रिया है। विनिर्माण में डिजाइन सामान्यतया औद्योगिक उत्पाद डिजाइन-विशिष्ट रूप से उत्पाद कि ''कैसा दिखता है'' से संबंद्ध है। तथापि डिजाइन का अनुप्रयोग इससे कहीं अधिक व्यापक है, उदाहरण के तौर पर विनिर्माण को सरल बनाने के लिए तथा निरंतरता को बनाए रखने के लिए डिजाइनिंग। डिजाइनिंग विश्वसनीयता अथवा गुणवत्ता अथवा स्वयं व्यवसाय संबंधी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। सेवा संबंधी डिजाइन इस बात को प्रभावित करते हैं कि ग्राहक सेवा संबंधी आपूर्ति का किस प्रकार अनुभव करेगा, जैसा कि बैंक अथवा कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट।

2.2 डिजाइन का वृहत्तर उद्देश्य चीजों को बेहतर ढंग से करना है, स्थिति में सुधार लाना है और एक सकारात्मक अंतर उत्पन्न करना है। व्यवसाय में डिजाइन की भूमिका मूल्य के सृजन से है। एक कम्पनी डिजाइन प्रोसेस का उपयोग अपने उत्पादों, सेवाओं तथा अपने संगठन के मूल्य को बढ़ाने के लिए कर सकती है। भली भांति डिजाइन किया गया उत्पाद, सेवा अथवा संगठन एक ऐसे उत्पाद, सेवा अथवा संगठन, जिसे भली भांति डिजाइन नहीं किया गया है, से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

2.3 डिजाइन नवप्रर्वतन और वृद्धि अंतरसंबद्ध हैं। नवप्रर्वतन एवं डिजाइन साधारण रूप से केवल नए उत्पादों अथवा प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है। अपितु ये इससे भी संबंध रखता है कि दैनिक उपयोग के उत्पादों में किस प्रकार सुधार लाया जाए जिससे उनकी लागतों में कमी आए, उनकी उपयोगिता में बढ़ोतरी हो और नए व्यवसाय अवसर उत्पन्न हो सकें। डिजाइन को एक नवप्रवर्तनकारी विषय के रूप में मान्यताप्राप्त है जो बाजारों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता में एमएसएमई की निरंतरता को बनाए रखने तथा वृद्धि करने में सहायता कर सकता है।

2.4 भारतीय एमएसएमई उत्पादों की विविध श्रृंखलाओं-साधारण उत्पादों से लेकर वे उत्पाद जो तकनीकी रूप से जटिल हैं, का उत्पादन करते हैं। व्यवसाय एवं प्रौद्योगिकीय वातावरण में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के चलते भारतीय एमएसएमई के लिए इन परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखना अत्यंत कठिन हो गया है। इसके लिए अन्य बातों के साथ एक नवप्रवर्तनकारी उत्पाद विकास दृष्टिकोण का होना अपेक्षित है जो यह सुनिश्चित कर सके कि प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखकर निरंतरता/वृद्धि सुनिश्चित करता हो। एमएसएमई द्वारा डिजाइनों के व्यापक अनुप्रयोग से उनके उत्पादों के मूल्य और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में बढ़ोतरी होने की आशा है।

2.5 डिजाइन क्लिनिक योजना से एमएसएमई को डिजाइन संबंधी सभी पहलुओं पर स्वतंत्र एवं व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को नए उत्पाद विकास तथा साथ ही साथ मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक समर्थन प्राप्त होगा तथा डिजाइन विशेषज्ञों से एकैक सलाह उपलब्ध होगी।

3.0 योजना

3.1 डिजाइन क्लिनिक योजना निम्नोक्त प्रमुख सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी :

- श्रमसाध्य, तथापि आवेदक अनुरूप प्रक्रिया;
- एमएसएमई द्वारा समझी जा सकने वाली प्रादेशिक/स्थानीय भाषा में डिजाइन संबंधी अवधारणाओं का संवर्धन और प्रसार करना;
- एमएसएमई को नुकसान पहुंचाए बगैर लाभ अर्जित करना;
- अन्य सफल डिजाइन समर्थन कार्यक्रमों से सीखना;
- एमएसएमई में डिजाइन एवं उत्पाद विकास के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं की स्थापना करना।

3.2 योजना दो उद्देश्यों को साथ लेकर चलती है :

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों में डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा डिजाइन शिक्षण की स्थापना करना; एवं
- डिजाइन के माध्यम से एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी करना।

3.3 योजना का वृहत्तर उद्देश्य सतत शिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक स्थायी डिजाइन इको प्रणाली सृजित करना है तथा बाजार का रुख तय करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का विकास करने के लिए डिजाइन के प्रयोग करने को बढ़ावा देना है।

3.4 योजना का ध्यान एमएसएमई की डिजाइन क्षमता का निर्माण करने पर केन्द्रित रहेगा ताकि उन्हें व्यवसाय निष्पादन में सुधार लाने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया जा सके।

3.5 योजना के विवरण को दो प्रमुख भागों अर्थात डिजाइन संबंधी जागरुकता एवं डिजाइन परियोजनाओं में विभक्त किया गया है।

3.5.1 <u>डिजाइन संबंधी जागरुकता:</u> यह कार्य चुनिंदा क्लस्टरों के सहभागी एमएसएमई के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और डिजाइन आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। ये कार्यकलाप व्यवसायों के लिए डिजाइन के महत्व एवं शक्ति के संबंध में सामान्य जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने में मदद करेंगे।

3.5.2 <u>डिजाइन परियोजनाएं:</u> फंडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्लस्टर में पेशेवर परामर्शदाताओं और वैयक्तिक इकाइयों (अथवा इकाइयों के समूह) के बीच आगे के संवाद स्थापित करने के लिए डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आधार गठित करेगा। एमएसएमई को डिजाइन परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त करने तथा परियोजना के तहत स्वीकृत अन्य विषयों के लिए योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार फंडिंग सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

4.0 डिजाइन संबंधी जागरुकता - संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

4.1 इन गतिविधियों का उद्देश्य एमएसएमई को उनके उद्योग के विभिन्न पहलुओं में डिजाइन के प्रयोग के बारे में संवेदी बनाना है।

4.2 संगोष्ठी में डिजाइन संबंधी विषयों को व्यापक रूप से कवर किया जाएगा जिसका अभिप्रेत डिजाइन की महत्ता, उनकी उपयोगिता एवं व्यवसाय संबंधी मूल्यों का निर्वहन करने में इसकी भूमिका के बारे में संवाद करना है। उन्हें यह जानकारी एक विषय पर एक अथवा एकाधिक विशेषज्ञों से विचार विमर्श करवाकर लेक्चर-शैली में किया जाएगा। संगोष्ठी के बाद प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाएगा। विशिष्ट संगोष्ठी एक दिवसीय होगी।

4.3 कार्यशाला एमएसएमई के लिए भली-भांति परिभाषित 'टेक अवे' के साथ डिजाइन पर अधिक केन्द्रित अध्ययन का संकेत देती है। प्रत्येक कार्यशाला के लिए आबंटित कुल समय 3-5 दिवस है। इसका आरंभ विशेषज्ञों के क्लस्टर इकाइयों का दौरा करने और क्लस्टर से संबंधित विषयों को समझने से होगा। इसके बाद एक विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञ-दल प्रस्तुत किए गए डिजाइन क्लिनिक समाधानों के बारे में इन्टरैक्टिव तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा एक डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

4.4 डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट क्लस्टर की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेगी तथा उन्हीं क्षेत्रों के भीतर उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जो डिजाइन इण्टरवेंशन की सेवा ले सकते हैं। रिपोर्ट यह पेश करेगी कि कैसे डिजाइन समाधान अंतत: व्यवसाय संबंधी समाधानों में परिवर्तित होंगे तथा उक्त के लिए कार्यवाहियों का वरीयता क्रम विनिर्दिष्ट करेगी। रिपोर्ट में कार्यशाला की कार्यवाहियों के विवरण भी शामिल किए जाएंगे।

4.5 संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन का कार्य उद्योग संघों, तकनीकी संस्थानों अथवा अन्य उपयुक्त निकायों को सौंपा जाएगा। इच्छुक संगठन डिजाइन क्लिनिक केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक संगठन के लिए ऐसी संगोष्ठी अथवा कार्यशाला के संचालन संबंधी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करना तथा इसके समर्थन में अपने आवेदन के साथ समान पूर्वानुभव संलग्न करना जरूरी होगा।

4.6 डिजाइन क्लिनिक केन्द्र से अनुमोदन प्राप्त करने पर संगठन कार्यशाला अथवा संगोष्ठी संचालित करेगा तथा समारोह समाप्त होने पर इसकी रिपोर्ट केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।

4.7 एमएसएमई मंत्रालय का एमएसएमई-विकास संस्थान इन कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन में सहयोग करेगा। एमएसएमई-डीआई की आरंभिक भूमिका कलस्टरों की पहचान करने, क्लस्टर में इकाइयों को सलाह देने संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें इन कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करने संबंधी होगी।

4.8 संगोष्ठी (प्रत्येक) के आयोजन के लिए भारत सरकार का 60,000 रुपए (साठ हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं का अंशदान स्वीकृत किया जाएगा।

4.9 एक कार्यशाला (डिजाइन आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने सहित) के आयोजन के लिए भारत सरकार का अंशदान स्वीकृत लागत 4,00,000 रु. (चार लाख रुपए मात्र) (अर्थात अधिकतम सहायता 3,00,000 रुपए मात्र तक सीमित करते हुए) तक प्राप्त की गई लागत के 75 प्रतिशत तक होगा। शेष राशि का योगदान सहभागी एमएसएमई द्वारा किया जाएगा।

4.10 इन संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के संचालन के लिए उपलब्ध कराई गई फंडिंग में इन समारोहों के आयोजन के लिए अपेक्षित सभी संगठनात्मक, आनुषंगिक एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय शामिल होंगे। योजना के तहत सरकार का योगदान कार्यान्वयन संगठनों/संस्थानों को 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। आरंभ में प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद भारत सरकार से स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत जारी किया जाएगा। निजी इकाइयों से पूरा योगदान प्राप्त करने के बाद कार्यशाला/संगोष्ठी का संचालन करने वाले संगठन से लेखा परीक्षित व्यय विवरण; अंतिम रिपोर्ट, आदि की प्राप्ति के आधार पर भारत सरकार के योगदान की शेष 50 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी।

4.11 एनआईडी संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए एक मानक टेम्प्लेट तैयार करेगा जिसमें प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्पष्ट उल्लेख होगा।

4.12 एमएसएमई के लिए आयोजित की जा रही कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के अलावा डिजाइन परामर्शदाताओं के लिए लगभग पांच ओरिन्टेशन कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ओरिएन्टेशन कार्यशाला की अवधि एक दिन की होगी। ओरिएन्टेशन कार्यशाला का उद्देश्य डिजाइन परामर्शदाताओं को संवेदी बनाना तथा उनका रुख एमएसएमई से संबंधित डिजाइन क्लिनिक योजना तथा विषयों के लक्ष्यों की ओर करना है। एनआईडी डिजाइनरों के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों एवं पेशेवरों की सहायता लेकर आवश्यक प्रबंध करेगा।

5.0 डिजाइन परियोजनाएं

5.1 उद्देश्य

- सलाह के रूप में एमएसएमई की डिजाइन संबंधी विशेषज्ञता तक पहुंच को सुगम बनाना;
- परियोजना इंटरवेंशनों के माध्यम से नई डिजाइन संबंधी कार्यनीतियां और/अथवा डिजाइन संबंधी उत्पाद विकसित करने के लिए एमएसएमई को सुविधा उपलब्ध कराना;
- दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न करना और स्थानीय उद्यम की क्षमताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से विकसित करना।

5.2 प्रयोज्यता

- डिजाइन परियोजना निधियन वैयक्तिक एमएसएमई अथवा एमएसएमई समूह के लिए है। दूसरे शब्दों में योजना किसी औद्योगिक क्लस्टर के एमएसएमई समूह को एक साथ आने और डिजाइन सुधार संबंधी परामर्श हेतु परियोजना फंडिंग प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। सुविधा के लिए इन मार्गनिर्देशों में इसके बाद से एमएसएमई शब्द में एमएसएमई समूह भी शामिल होंगे।

5.3 वित्तीय सहायता

डिजाइन क्लिनिक योजना वैयक्तिक एमएसएमई, एमएसएमई समूह एवं विद्यार्थी परियोजनाओं द्वारा आरंभ किए जाने वाले डिजाइन कार्य में सहयोग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

5.4 लाभार्थी इकाई (यों) के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार विशिष्ट तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम होना अनिवार्य होगा। डिजाइन का प्रयोग नया होना चाहिए तथा इसमें पहले आंतरिक अथवा बाह्य डिजाइन विशेषज्ञता का प्रयोग नहीं किया गया होना चाहिए। इकाई द्वारा इस योजना के लिए नियुक्त डिजाइनर का चयन इस योजना के लिए योग्यताप्राप्त डिजाइनरों के बनाए गए पूल से ही किया जाना चाहिए।

5.5 आवश्यकता विश्लेषण

एमएसएमई स्तर पर आवश्यकता संबंधी विश्लेषण या तो क्लस्टर स्तर की कार्यशाला के अनुवर्तन के रूप में अथवा विशेषज्ञ एवं एमएसएमई द्वारा अकेले एक के लिए एक कार्य के रूप में आयोजित किया जाएगा। डिजाइन इंटरवेंशन के इच्छुक एमएसएमई डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा अनुमोदित किसी डिजाइनर/डिजाइन कम्पनी/शैक्षणिक संस्थान से डिजाइन आवश्यकता विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि उन्हें डिजाइनर/डिजाइन कम्पनी/शैक्षणिक संस्थान नहीं मिल पाता तो वे सहायता के लिए डिजाइन क्लिनिक केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। डिजाइन क्लिनिक केन्द्र ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर डिजाइनर/डिजाइन कम्पनी/शैक्षणिक संस्थान संबंधी सुझाव प्रस्तुत करते हैं जिनमें से एमएसएमई चयन कर सकता है साथ ही वे सुझाए गई कम्पनी/संस्थान को भी अधिसूचित करते हैं। डिजाइन आवश्यकता विश्लेषण के लिए एनआईडी द्वारा एक टेमप्लेट तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिए गए टेमप्लेट का उपयोग करेगा।

5.6 परामर्श

परामर्श से विस्तृत समाधानों का विकास होता है और इससे इकाइयों को कार्य करने और कार्य करके सीखने में मदद मिलती है। परामर्श पहलू का सबसे महत्वपूर्ण भाग डिजाइन समाधान को व्यवसाय

समाधान में बदलना है। कोई भी डिजाइन संबंधी कार्यकलाप व्यवसाय की अच्छी समझ अथवा डिजाइन को व्यवसाय से संबद्ध करने वाले इनपुट के बगैर पूरा नहीं होता है। विशिष्ट मामलों में स्वतंत्र व्यवसाय मूल्यांकन डिजाइन परामर्श के लिए इनपुट की भूमिका निभा सकता है। इस चरण में व्यवसाय परामर्शदाता/प्रबंधन विद्यार्थियों से ली जाने वाली मदद को शामिल किया जा सकता है।

5.7 परियोजना प्रस्ताव

आवश्यकता विश्लेषण और परामर्श के परिणामों के आधार पर एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना के सभी पहलू एवं वित्तीय विवरण शामिल होंगे। प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में अनुमोदन के लिए डिजाइन क्लिनिक केन्द्र के मूल्यांकन पैनल को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.8 पेशेवरों के लिए डिजाइन परियोजना फंडिंग

- इस योजना के तहत परियोजनाओं के लिए फंडिंग सहयोग हेतु सभी आवेदन डिजाइन संबंधी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक एमएसएमई तथा सहायता प्रदान करने वाले डिजाइनर/डिजाइन कम्पनी/शैक्षणिक संस्थान के बीच सहयोग से दिए जाने होंगे।
- वैयक्तिक एमएसएमई अथवा समूह जिसमें तीन एमएसएमई आवेदकों से अधिक न हो, के मामले में वित्तीय समर्थन कुल अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 9.0 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- ऐसे समूह जिसमें चार अथवा चार से अधिक एमएसएमई आवेदक हों, वित्तीय सहायता कुल अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 15 लाख रुपये जो भी कम हो, तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- परियोजना में एमएसएमई आवेदक (कों) के लिए अनुमोदित परियोजना लागत का कम से कम 40 प्रतिशत का मैचिंग फंड के रूप में अंशदान करना आवश्यक होगा।
- परियोजना हेतु आवेदक एमएसएमई द्वारा दिया गया मैचिंग फंड ट्रेस किए जाने योग्य एवं सत्यापित, जैसे कि चेक और/अथवा बैंक पे-इन स्लिप के रूप में होना चाहिए।

- फंडिंग अनुदान की प्रतिपूर्ति चार समान राशियों में चार चरणों में की जाएगी। यह निम्नोक्त ढंग से किया जाएगा:
  - चरण 1 कार्यनीति—25 प्रतिशत
  - चरण 2 अवधारणा—25 प्रतिशत
  - चरण 3 विस्तृत डिजाइन—25 प्रतिशत
  - चरण 4 सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं समापन रिपोर्ट—25 प्रतिशत

5.9 विद्यार्थियों के लिए डिजाइन परियोजना फंडिंग

देश में डिजाइन शिक्षा के अधिकांशत: परियोजना आधारित शिक्षा होने के कारण फंडिंग का एक भाग विद्यार्थी डिजाइन परियोजना के प्रयोजक/सहयोग के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। ऐसी प्रत्येक परियोजना का परिणाम अंतिम डिजाइन विशिष्टताओं और एक मॉडल/प्रोटोटाइप सहित विस्तृत दस्तावेज के रूप में सामने आता है।

- डिजाइन क्लिनिक योजना मुख्य डिजाइन संस्थानों के पर्यवेक्षण में एमएसएमई के लिए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा किए गए परियोजना कार्य हेतु किए गए व्ययों की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 1.5 लाख रु. के अधीन, द्वारा डिजाइन कार्य का समर्थन करेगी। एमएसएमई इकाइयों का योगदान स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत होगा।
- स्वीकृत लागत (अनुमानत: 2 लाख रु.) में परियोजना से संबंधित विद्यार्थी डिजाइनरों की छात्रवृत्ति (जहां कहीं लागू हो), आने जाने का किराया, प्रलेखन एवं मॉडल निर्माण की लागतें शामिल होंगी।
- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों से पूर्णकालिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इस फंडिंग के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे।
- यह फंडिंग केवल स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे अंतिम वर्ष की शोध प्रबंध परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से एक निर्धारित प्रारूप में तथा जहां वे परियोजना संबंधी कार्य करेंगे, उस एमएसएमई की सहमति से आवेदन करना होगा।
- परियोजना के कार्य की समाप्ति एक रिपोर्ट के रूप में की जाएगी, जो विद्यार्थी के मुख्य शैक्षणिक संस्थान तथा जिसके लिए कार्य किया गया है, उस एमएसएमई द्वारा अनुमोदित होगी।
- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र विद्यार्थी परियोजना हेतु डिलीवरेबल्स को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

- फंडिंग अनुदान की प्रतिपूर्ति संस्थान के माध्यम से केवल विद्यार्थी को की जाएगी।
- फंडिंग अनुदान की प्रतिपूर्ति निम्नोक्त ढंग से तीन चरणों में की जाएगी:
  - चरण 1 आवेदन अनुमोदन—25 प्रतिशत
  - चरण 2 मध्य चरण (लगभग 50 प्रतिशत समय समाप्त)—25 प्रतिशत
  - चरण 3 अंतिम रिपोर्ट जमा करना—50 प्रतिशत

5.10 परियोजना अवधि

- डिजाइन परियोजना की अवधि एक वर्ष से कम होगी।

5.11 पात्र आवेदक

- स्थानीय डिजाइनर/डिजाइन कंपनी और शैक्षणिक संस्थान तथा स्थानीय 5 एमएसएमई मिलकर सह-आवेदकों के रूप में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। डिजाइन कंपनी या शैक्षणिक संस्थान की सहमति से एक एमएसएमई निम्नोक्त शर्तों पर मुख्य आवेदक के रूप में आवेदन देने के लिए पात्र हैं :
  - डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान और आवेदक एमएसएमई चालू व्यवसाय सहित भारतीय कानून के तहत भारत में निकायों अथवा कंपनियों के रूप में स्थापित अथवा शामिल होने चाहिए;
  - आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान परियोजना कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे;
  - आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान और आवेदक एमएसएमई को एक परियोजना के लिए आवेदन करने से पहले एक सहयोगी या संबद्ध व्यक्ति या एजेंट या उनमें से किसी एक का भी कर्मचारी, नहीं होना चाहिए;
  - डिजाइन/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले परियोजना टीम के सदस्यों को आवेदक एमएसएमई का निदेशक/शेयरधारक/प्रबंध टीम का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- डिजाइन क्लिनिक के तहत एमएसएमई आवेदक की पात्रता के लिए मानदंड निम्नोक्त हैं :
  - एमएसएमई के लिए अपने परिचालन के पिछले तीन वर्षों में लाभकारी संस्था होना चाहिए।
  - एमएसएमई के लिए निर्यात निष्पादन अथवा निर्यात संभावनाओं का प्रदर्शन करना आवश्यक होगा।
  - पीएमएसी इस उद्देश्य के लिए मानदंड निर्धारित/शिथिल कर सकती है।

- डिजाइन क्लिनिक के तहत डिजाइनर/डिजाइन कंपनी की योग्यता प्राप्त करने के लिए मानदंड निम्नोक्त हैं :

  - डिजाइनर या डिजाइन कंपनी या प्रशंसित संस्थान को समस्या क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता एवं योग्यता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसके लिए उसे आवेदक एमएसएमई हेतु समाधान खोजना है।

  - परियोजना को समय से एवं स्वीकृत संभावनाओं के अनुसार पूरा करने के लिए डिजाइनर/डिजाइन कंपनी उत्तरदायी होगी।

- यदि आवेदन को मंजूरी मिल जाती है तो आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान अनुदान प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और दोनों आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान तथा आवेदक एमएसएमई को डिजाइन क्लिनिक केन्द्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों ही पक्ष उन शर्तों और निबंधनों, जिनके अधीन अनुदान दिया जाएगा, के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं।

- प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एमएसएमई को ''प्रधान आवेदक'' कहा जाएगा तथा डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान को ''सह आवेदक'' कहा जाएगा।

5.12 परियोजना बजट

- मुख्य आवेदक को सभी व्ययों तथा संगत दस्तावेजों, जैसे कि दर सूची, परियोजना का संक्षेप अथवा करार, का विवरण देते हुए परियोजना के लिए एक बजट प्रस्ताव जमा कराना होगा।

- परियोजना बजट तैयार करते समय प्रधान आवेदक के लिए कार्य चरणों का संक्षिप्त विवरण देना तथा इन चरणों पर आने वाली लागत का ब्योरा देना होगा। अन्य सूचनाएं जैसे कि समयावधि तथा अपेक्षित जनशक्ति (उदाहरणत: मानव दिवस) भी सहायक होंगी। अविनिर्दिष्ट लागत वाली मदों जैसे कि विविध, विविध एवं आकस्मिकता आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- अस्वीकृत लागत मदें जिन्हें परियोजना के खाते में प्रभारित नहीं किया जा सकता, की सूची नीचे दिए गए अन्य बिन्दु में दी गई है।

- आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान तथा आवेदक एमएसएमई दोनों के लिए आवेदन में यह घोषणा करना आवश्यक होगा कि उनमें से कोई एक अथवा दोनों ने अन्य सार्वजनिक धन स्रोतों से

परियोजना के लिए धन की मांग की है या मांग रहे हैं। दोहरी आर्थिक सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.13 परियोजना परिणाम हेतु योजना

- मुख्य आवेदक को आवेदन में इस पर एक संक्षिप्त प्लान प्रदान करना होगा कि वह किस प्रकार परियोजना के निष्कर्षों का व्यवसायीकरण करेगा तथा परियोजना पर कार्य करते समय इसके निष्कर्षों में निहित आईपीआर तथा अन्य परियोजना सामग्रियों की सुरक्षा किस प्रकार करेगा।

5.14 परियोजना समन्वयक

- प्रत्येक आवेदन में प्रधान आवेदक एक परियोजना समन्वयन नियुक्त करेगा।
- यदि आवेदन को मंजूरी मिल जाती है तो सामान्य रूप से परियोजना समन्वयक परियोजना की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा, व्यय की निगरानी करने तथा अनुमोदित परियोजना बजट के अनुसार परियोजना का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा, यह गाइड और परियोजना के लिए नियत किए गए अन्य निर्देशों तथा पूछताछ का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.15 आवेदन के लिए समय

- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया जाता, आवेदनों के लिए वर्ष भर खुला हुआ है।

5.16 आवेदन प्रक्रिया

- योजना के लिए कई तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
- एमएसएमई बगैर डिजाइन कम्पनी के अनुदान के अनुरोध के साथ आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में डिजाइन क्लिनिक केन्द्र एमएसएमई को संभावी डिजाइन परामर्शदाता सुझा सकता है जिनमें से वह चयन कर सकता है।
- एमएसएमई द्वारा डिजाइन परामर्शी, जो दिए गए मानदंडों पर खरा उतरता हो, के साथ मिलकर आवेदन किया जा सकता है।
- एमएसएमई द्वारा डिजाइन परामर्शी, जो दिए गए मानदंडों पर खरा उतरता हो, के साथ मिलकर आवेदन किया जा सकता है।
- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र को वेबसाइट पर इण्टरनेट के द्वारा इलैक्ट्रॉनिक जरिए से आवेदन किए जा सकते हैं।
- एक आवेदन में एक ही परियोजना शामिल की जा सकती है।

- आवेदन की शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पूरी जानकारी मिलने के बाद 50 कार्य दिवसों के भीतर आवेदकों को मूल्यांकन परिणाम के संबंध में सूचित किया जाएगा।
- यह सिफारिश की जाती है कि आवेदकों को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
- कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5.17 आवेदनों का अनुमोदन

- आवेदनों को ऊपर निर्धारित उनकी विशिष्ट योग्यता एवं धन सीमा के आधार पर अनुमोदन दिया जाता है।
- पीएमएसी को निम्नोक्त आधार पर आवेदन को निरस्त करने का अधिकार है :
  - मुख्य आवेदक या सह-आवेदक के समापन या दिवालिया होने की याचिका प्रस्तुत करने या कार्यवाही शुरू करने पर या आदेश पारित करने या प्रस्ताव पारित होने पर, या
  - आवेदन में निहित झूठे या गलत बयान या अधूरा प्रतिवेदन या एक वादा या प्रस्ताव जानबूझकर अथवा लापरवाही में किया जाता है और वह वादा पूरा नहीं कर सकेंगे; या
  - ऐसे आरोप लगाने के मामले में या सरकार के पास ऐसा मानने के पर्याप्त कारण हों कि परियोजना निष्कर्षों के भाग के रूप में यह डिजाइन या कल्पना या उत्पादित कोई भी वस्तु या सामग्री तैयार होते समय किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करती है या करेगी;
  - मुख्य आवेदक या सह-आवेदक ने सरकार के साथ किए गए समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरी नहीं किया हो, फिर चाहे वह डिजाइन क्लिनिक योजना से संबंधित हो अथवा नहीं।

5.18 पुनः प्रस्तुति

- अस्वीकृत आवेदन को केवल तभी पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जब उसे पर्याप्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया हो या इसकी पूर्व समीक्षा में मूल्यांकन पैनल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मौजूद हो। पुनः प्रस्तुत आवेदन में पूर्व के आवेदन की तुलना में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- किसी भी संशोधित आवेदन को नए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

5.19 पुनरीक्षण प्रक्रिया

- आवेदन के प्राप्त होने पर डिजाइन क्लिनिक केन्द्र प्रारंभिक छानबीन करेगा और आवेदक डिजाइन कम्पनी/शैक्षणिक संस्थान तथा आवेदक एमएसएमई दोनों से स्पष्टीकरण अथवा अनुपूरक सूचनाएं मांग सकता है। आवेदनों को ऊपर निर्धारित उनकी विशिष्ट योग्यता एवं धन सीमा के आधार पर अनुमोदन दिया जाता है।
- जांच के बाद डिजाइन क्लिनिक केन्द्र आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित विचारार्थ मूल्यांकन पैनल को प्रस्तुत करेंगे।
- मूल्यांकन पैनल में अधिकारियों, पेशेवरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, डिजाइनरों, शिक्षाविदों या अन्य विशेषज्ञ व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके कार्यों में आवेदन का मूल्यांकन, सिफारिशें करना और अनुमोदित आवेदनों की छानबीन करना शामिल है।
- आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान और आवेदक एमएसएमई और उसकी परियोजना टीम के सदस्यों को अपने आवेदनों को प्रस्तुत करने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मूल्यांकन बैठकों में भाग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

5.20 मूल्यांकन मानदंड

- किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, जहां कहीं लागू हो वहां निम्नोक्त कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा:
  - परियोजना किस सीमा तक डिजाइन को व्यवसायिक प्रक्रिया से संबद्ध करने में सहायक हो सकती है;
  - परियोजना किस सीमा तक डिजाइन कार्यकलाप को व्यवसायिक सुपुर्दगियों में बदलने में सहायक हो सकती है, चाहे यह उत्पाद हो या सेवा जिसका बौद्धिक संपदा जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, जानकारी या औद्योगिक डिजाइन शामिल हो सकता है, के रूप में दोहन एवं नियोजन किया जा सकता है;
  - परियोजना किस सीमा तक उत्पादों अथवा संबंधित सेवाओं के मूल्यसंबर्धन और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो सकती है ;
  - परियोजना किस सीमा तक नए उत्पादों अथवा सेवाओं के व्यवसायीकरण में तथा विपणन के नए रास्ते खोजने में सहायक हो सकती है;
  - क्या आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान अथवा आवेदक एमएसएमई को पहले डिजाइन क्लिनिक से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है और ऐसी पिछली परियोजनाओं के लिए पहले से ही दिए

गए अनुदान की राशि।

- परियोजना की पूरी योजना तथा परियोजना का संगठनात्मक ढांचा, परियोजना टीम की क्षमता यानि परियोजना टीम के सदस्यों की विशेषज्ञता, अनुभव, योग्यता, ट्रैक रिकार्ड तथा परियोजना के लिए उपलब्ध संसाधन;
- क्या प्रस्तावित बजट उचित एवं यथार्थवादी है और क्या परियोजना को अन्य स्रोतों से फंड प्राप्त हुआ है अथवा मिलना चाहिए;
- परियोजना के पूरी होने के बाद डिजाइन परामर्शदाता एमएसएमई के साथ किस प्रकार का संबंध बनाए रखेगा; और
- कोई अन्य संगत कारक।

- समग्र मूल्यांकन मानदंड डिजाइन इण्टरवेंशन द्वारा एमएसएमई को उपलब्ध होने वाले विशेष सकारात्मक अंतर, चाहे वह सम्पूर्ण आमदनी (उच्चतर लाभ इंगित करते हुए) के रूप में हो या प्रतिशत के रूप में, पर आधारित होगा।
- मूल्यांकन पैनल एनआईडी के माध्यम से पीएमएसी को अपनी रिपार्ट पेश करेगा, जिसमें परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिशें होंगी। पीएमएसी के निर्णय की सूचना आवेदक को एनआईडी द्वारा दी जाएगी।

5.21 परिणामों की अधिसूचना

- पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद 50 स्पष्ट कार्यदिवसों के भीतर आवेदकों को मूल्यांकन परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा।
- यदि अनुदान के लिए किसी आवेदन की सिफारिश की गई है तो संबंधित मुख्य आवेदक और सह-आवेदक दोनों को एक साथ परिणाम तथा मानक नियमों एवं शर्तों के साथ-साथ मूल्यांकन पैनल द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के बारे में सूचित किया जाएगा।
- आवेदन को अनुमोदन मिलने से पहले उन्हें तद्नुसार अपने आवेदन को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- यदि आवेदन नामंजूर हो जाता है तो इसके कारण बताए जाएंगे।

5.22 आवेदन वापस लेना

- मुख्य आवेदक और सह-आवेदक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय अपना आवेदन वापस लेने के लिए डिजाइन क्लिनिक केन्द्र को लिख सकते हैं।

5.23 अनुदान समझौता

- प्रत्येक सफल आवेदन के लिए सह-आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान अनुमोदित अनुदान के प्राप्तकर्ता होंगे, परन्तु डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान और आवेदक एमएसएमई दोनों को एनआईडी के साथ एक अनुदान समझौता करना होगा। अनुदान समझौते पर एनआईडी और आवेदकों के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। एनआईडी इसके लिए एक उचित कानूनी दस्तावेज (जीएफआर प्रावधानों को शामिल करते हुए) तैयार करेगी। अनुदान समझौते में (क) एनआईडी से स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तें, (ख) नियम और शर्तें, और (ग) एनआईडी से स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव शामिल होंगे।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज के भाग के रूप में परियोजना के मुख्य आवेदक को आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान और आवेदक एमएसएमई के बीच हुए अनुबंध को यह प्रमाणिक करते हुए कि परवर्ती ने पूर्ववर्ती को परियोजना (अनुबंध परियोजना) हेतु नियुक्त किया है, प्रस्तुत करना होगा। परियोजना करार में नियम एवं शर्तें शामिल होने चाहिएं।

5.24 अनुमोदित अनुदान का वितरण

- अनुमोदित अनुदान का संवितरण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जो निम्नोक्त पर आधारित होगा:
  - आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति,
  - इसका साक्ष्य कि आवेदक एमएसएमई ने यथावश्यक अनुरूप निधि का भुगतान कर दिया है,
  - निर्धारित तिथि या एनआईडी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किसी अन्य तिथि के अनुसार चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर,
  - परियोजना प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना समाप्ति की तिथि अथवा एनआईडी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किसी अन्य तिथि से 2 माह के भीतर अंतिम समाप्ति रिपोर्ट और अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसकी विषयवस्तु एवं रूप से एनआईडी संतुष्ट हो, तथा पहले से तय अपेक्षाओं का अनुपालन।
  - आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान एवं आवेदक एमएसएमई दोनों द्वारा अनुदान समझौते और परियोजना करार का भली भांति अनुपालन।

5.25 प्रचार एवं आभार

- मुख्य आवेदक एनआईडी को बौद्धिक संपदा के सृजन जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का निर्वहन, परियोजना सुपुर्दगियों एवं पुरस्कारों का सफल विपणन एवं वाणिज्यीकरण शामिल हैं, के साथ परियोजना उपलब्धियां, यदि कोई हों, संबंधी विवरण प्रदान करेगा। एनआईडी समय-समय पर ऐसी

परियोजना का विवरण जनता के लिए उपलब्ध कराएगा तथा साथ ही प्रचार और संदर्भ के लिए वेब पर घोषणा करेगा अथवा प्रकाशनों अथवा प्रदर्शनियों में प्रदर्शन करेगा।

- परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रचार/मीडिया समारोहों तथा साथ ही साथ जारी किए गए प्रकाशनों के लिए योजना के तहत उपलब्ध कराए गए फंड संबंधी सहयोग के लिए आवेदक आभारी होंगे। तथापि मुख्य आवेदक और/अथवा सह-आवेदक को ऐसी किसी भी संवर्धनात्मक सामग्री का उपयोग करने से रोक सकता है जिसमें एनआईडी/सरकार अथवा डिजाइन क्लिनिक योजना का संदर्भ पाया जाए।

5.26 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

- मुख्य आवेदक को परियोजना के दौरान निर्दिष्ट परियोजना प्रारूप में निष्पादन विवरण सहित 3 अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी। फंडिंग आवेदन में आवेदक को अंतरिम रिपोर्ट जमा कराने की विशिष्ट तिथि बतानी होगी, जो एनआईडी द्वारा स्वीकृत होगी।
- मुख्य आवेदक को परियोजना के निष्कर्षों, प्रदर्शन और मूल्यांकन के विवरण के साथ एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- अंतरिम रिपोर्ट तथा समापन रिपोर्ट निम्नोक्त के साथ जमा कराई जाएगी:
  - फंड प्राप्तकर्ता होने के नाते आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा परियोजना की लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर बढ़ोतरी के क्रम में एक वित्तीय विवरण। डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा प्राप्तकर्ता संगठनों के लेखा परीक्षकों के लिए जारी नोट्स के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के वित्तीय विवरण में परियोजना की कुल आय और व्यय के लेखा परीक्षित विवरण शामिल होंगे। डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा एक मानक प्रोफार्मा निर्धारित किया जाएगा एवं प्रदान किया जाएगा; और
  - आवेदक एमएसएमई द्वारा मैचिंग फंड का नकदी में (चेक और बैंक भुगतान पर्ची के रूप में अथवा एनआईडी को स्वीकार्य कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य) अंशदान का साक्ष्य।
- परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट तिथि अथवा डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा स्वीकृत कोई अन्य तिथि से दो माह के भीतर उपरोक्त रिपोर्ट और अंतिम वित्तीय विवरण तथा भुगतान संबंधी साक्ष्य।

- आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान तथा आवेदक एमएसएमई को परियोजना परिणाम मूल्यांकन पैनल को बताने होंगे और परियोजना सुपुर्दगियों के वाणिज्यिकीकरण स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी।

- आवेदक डिजाइनर/डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान को फंड प्राप्तकर्ता होने के कारण परियोजना समापन के बाद कम से कम दो वर्षों अथवा डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना संबंधी सभी वित्तीय विवरण, बहियां और रिकार्ड तथा परियोजना पर किए गए व्ययों के साक्ष्य के रूप में रसीदें रखनी होंगी और किसी भी समय निरीक्षण होने पर उन्हें दिखाना होगा।

- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक उस परियोजना निधि कोष की प्रभावशीलता की जांच कर सकते हैं जिसे प्राप्तकर्ता ने परियोजना फंड में से प्रयोग किया है। लेखा परीक्षकों को यह अधिकार है कि वे हर उचित समय पर प्राप्तकर्ता के नियंत्रण व अधिकार में उपलब्ध सभी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज प्राप्त कर सकें जिन्हें जांच करने की आवश्यकता पड़ सकती है व उन्हें ऐसे किसी भी दस्तावेज अथवा जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। लेखा परीक्षक डिजाइन क्लिनिक केन्द्र और सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट के परिणाम के बारे में सूचित करेंगे।

- परियोजना में दोनों आवेदकों को आवेदक एमएसएमई के लिए वाणिज्यिक अवसर उत्पन्न करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अपने उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्धन के संदर्भ में अपनी परियोजना की उपलब्धियों की रिपोर्ट देने के लिए परियोजना समापन मूल्यांकन प्रश्नावली को लौटाना होगा।

5.27 खरीद प्रक्रिया

- फंड प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के लिए सभी माल और सेवाओं के लिए खरीद उचित एवं निष्पक्ष तरीके से की जाए। यदि आवश्यक हो तो सभी कोटेशन डिजाइन क्लिनिक केन्द्र के निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे।

5.28 परियोजना संबंधी भिन्नताएं

- अनुदान समझौते और परियोजना करार से जुड़े इसके प्रस्ताव के अनुरूप अनुमोदित परियोजना संबंधी कार्य किया जाना अपेक्षित है। परियोजना प्रस्ताव या परियोजना करार में किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन या संवर्धन के लिए डिजाइन क्लिनिक केन्द्र से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जिसमें परियोजना के आरंभ या पूरा होने की तिथि में परिवर्तन, परियोजना के मुख्य कर्मचारी,

संभावनाएं, पद्धतियां और बजट शामिल हैं। परियोजना प्रस्ताव और परियोजना करार के अनुपालन में असफल होने पर एनआईडी को यह अधिकार है कि वे आवेदक डिजाइन कंपनी/शैक्षणिक संस्थान को अनुदान राशि जारी करने पर रोक लगा दें, फिर भले ही क्या एमएसएमई आवेदक की गलती हो अथवा दोनों की गलती हो।

6.0 योजना का कार्यान्वयन

6.1 स्वीकृत लागतें

डिजाइन संबंधी कार्य के लिए स्वीकृत लागत सामान्यत: निम्नोक्त मदों के लिए लागू होगी:

- आवश्यकता संबंधी विश्लेषण/अनुसंधान–आंतरिक/बाह्य एजेन्सी/यात्रा एवं आवास/डाटा रिकर्डिंग संसाधन/जनशक्ति/रिक्रूटिंग रिस्पोंडेंट
  - उत्पाद
  - विपणन
  - प्रयोक्ता
  - रूझान
- कार्यशालाएं/संगोष्ठियां–यात्रा एवं आवास/डाटा रिकार्डिंग संसाधन/टीम/कौशल/रिफ्रेशमेंट/आधारभूत संरचना/समय/प्रक्रिया एकीकरण
  - नए उत्पाद विचार उत्पन्न करना
  - नए बाजारों पर पकड़
- अवधारणाएं और स्टेशनरी/टीम/कौशल/आधारभूत संरचना/समय/सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
  - स्केचिंग
  - प्रदान करना
- सॉफ्ट मॉकअप्स–समय/आधारभूत संरचना/कौशल/टीम/सामग्रियां
  - अवधारणाओं को परिष्कृत रूप देने के लिए जल्द मॉकअप्स
- इंजीनियरिंग–समय/सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर/कौशल/टीम
  - प्रोटोटाइपिंग और विनिर्माण के लिए डाटा सृजित करना

- प्रोटोटाइपिंग–विक्रेता/इंजीनियरिंग समर्थन/टीम/कौशल/समय प्रिंटिंग/परिवहन/सामग्रियां
  - वास्तविक उत्पाद के प्रकार्य में तेजी लाना।

6.2 अस्वीकृत लागतें

- सामान्य रूप से डिजाइन क्लिनिक के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अनुदान को आवेदक डिजाइन क्लिनिक/अकेडेमिक संस्थान द्वारा परियोजना चलाने के लिए केवल परियोजना प्रस्ताव में नियत बजट के अनुरूप ही विस्तारित किया जाएगा। अनुदान का उपयोग निम्नोक्त के लिए नहीं किया जाएगा:
  - सामान्या प्रशासन, कार्यालय तथा व्यय जो परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं;
  - केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से प्रोटोटाइप के अलावा अन्य के लिए उत्पादन लागत;
  - अन्य व्यय उदाहरण के तौर पर वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग, स्थानीय/विदेश यात्रा, फोटोकॉपी;
  - मनोरंजन व्यय तथा कोई भी पुरस्कार चाहे वह नकद हो अथवा स्मारिका के तौर पर अन्य कोई हो;
  - पूर्ववर्ती/बाद के वर्ष (ों) अवधि (यों) से संबंधित लागत;
  - पूंजी वित्तपोषण व्यय, जैसे कि गिरवी रखना तथा ऋणों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज।
- फंड प्राप्तकर्ता को यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो कि क्या अनुदान राशि किसी विशेष व्यय की पूर्ति के लिए है अथवा नहीं, तो इस परिस्थिति में उसे डिजाइन क्लिनिक सेंटर से परामर्श करना होगा।

6.3 शीर्ष निकाय

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुवीक्षण एवं सलाहकारी समिति (पीएमएसी) का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अकादमी, वीसी, वित्तीय संस्थान, प्रबंधन, प्रशासन, संबंधित सरकारी विभागों, आदि क्षेत्रों से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। इस शीर्ष निकाय में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित नहीं होते हों। सामान्य रूप से पीएमएसी का गठन निम्नोक्त रूप से होगा:

i) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), अध्यक्ष

ii) संयुक्त सचिव, एमएसएमई, सदस्य

iii) संयुक्त सचिव, एमएनसीसी, सदस्य

iv) संयुक्त सचिव/निदेशक डीआईपीपी, सदस्य

v) निदेशक, एनआईडी, सदस्य

vi) आईआईटी, डिजाइन और अन्य संस्थानों से प्रतिनिधि,

vii) डिजाइनर फ्रैटरनटी से सदस्य,

viii) उद्योग से प्रतिनिधि

ix) विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में योजना के प्रभार अधिकारी, सदस्य सचिव

पीएमएसी की व्यापक भूमिका और दायित्व निम्नोक्त होंगे:

क) डिजाइन केन्द्र और प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना के लिए एनआईडी के प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन,

ख) योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए एनआईडी द्वारा तैयार की गई विस्तृत कार्यवाही और कार्यनीति अनुमोदित करना,

ग) संगोष्ठियां और कार्यशालाएं संचालित करने के लिए एनआईडी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित करना,

घ) एनआईडी की सिफारिशों के अनुसार डिजाइनरों/डिजाइन परामर्शदाताओं/डिजाइन संस्थानों के पैनल की समीक्षा करना और अनुमोदित करना,

ङ) मूल्यांकन पैनल(लें) का गठन करना,

च) वैयक्तिक एमएसएमई/एमएसएमई/विद्यार्थियों के समूह के लिए डिजाइन परियोजनाओं की समीक्षा करना और स्वीकृति प्रदान करना,

छ) योजना के तहत डिजाइनरों/परामर्शदाताओं, बेहतर व्यवहार्यों का अध्ययन, विज्ञापन और प्रचार,आदि के लिए अभिविन्यासोन्मुखी कार्यशाला के संबंध में एनआईडी प्रस्तावों की समीक्षा करना और अनुमोदन करना,

ज) योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई योजना संबंधी विचारविमर्श करना और अनुमोदन करना।

6.4 नोडल एजेन्सी

- योजना के प्रभावी, कुशल एवं एकरूप कार्यान्वयन के लिए नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद को योजना के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है।

6.5 नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद की भूमिका

- एनआईडी योजना के लिए नोडल एजेन्सी होगी और यह एमएसएमई तथा सरकार (विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय) के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेगी। यह विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से संपर्क के लिए एकल बिन्दु के रूप में भी कार्य करेगी।
- एनआईडी डिजाइन क्लिनिक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में डिजाइन क्लिनिक केन्द्र का गठन करेगा। यह केन्द्र मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा और योजना के तहत सभी गतिविधियों की पहल करेगा।
- एनआईडी योजना की सुपुर्दगी के लिए उपयुक्त तकनीकी संस्थानों/एजेन्सियों की संबद्धता से 4 प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था करेगा।
- एनआईडी की आरंभिक भूमिका जागरूकता फैलाने तथा डिजाइन कम्पनियों/परामर्शदाताओं और एमएसएमई के बीच मैचमेकिंग को सुगम बनाने से संबंधित होगी।
- एनआईडी डिजाइनरों/डिजाइन कम्पनियों/अकेडेमिक संस्थानों को नियुक्त करेगा और उन्हें अनुमोदन के लिए शीर्ष निकाय को प्रस्तुत करेगा।
- एनआईडी वैयक्तिक एमएसएमई और एमएसएमई के समूह से आवेदन प्राप्त करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ इसे विचारविमर्श के लिए शीर्ष निकाय के सम्मुख रखेगा।
- एनआईडी मूल्यांकन पैनल के लिए अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय (परियोजना अनुवीक्षण एवं परामर्श समिति) को विचारविमर्श तथा अनुमोदन के लिए नामांकनों की सिफारिश करेगा।
- एनआईडी डिजाइन परामर्शदाताओं के लिए अभिविन्यासोन्मुखी कार्यक्रम का भी आयोजन करेगा, यदि पीएमएसी द्वारा निर्णय किया गया हो।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन केन्द्रों तथा प्रादेशिक केन्द्रों के भाग के रूप में कार्य कर रही फंक्शनरीज यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते/बोर्डिंग/लॉजिंग आदि के उद्देश्य के लिए भारत सरकार के नियमों के अधीन होंगी।

- एनआईडी अथवा इस योजना से संबंधित अन्य फैकल्टी द्वारा की गई यात्राएं परियोजना कार्यान्वयन समिति, पीआईसी (जो निदेशक/एनआईडी की अध्यक्षता में गठित की जानी है), जिसमें विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय का एक सदस्य भी होगा, के द्वारा अनुमोदित एवं अनुवीक्षित की जाएंगी। इसके बाद पीआईसी द्वारा अनुमोदित व्यय को नियमित आधार पर अगली पीएमएसी की बैठक में अनुसमर्थित किया जाएगा।
- एनआईडी अनुदान के किसी भी भाग का उन कार्यकलापों, जिनके लिए स्वीकृति मिली है, के अलावा किसी भी अन्य कार्यकलाप के लिए उपयोग नहीं करेगा।
- एनआईडी योजना के लिए अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में सचित्र संवर्धनात्मक सामग्री तैयार करेगा।
- एनआईडी योजना के लिए एक इन्टरैक्टिव वेबसाइट स्थापित करेगा।
- एनआईडी एक अंतरमध्यस्थ मंच प्रदान करेगा। यह उद्योग पहलें, सराकरी पहलें जैसे कि जीआईटीए, टीआईएफसी, विश्वविद्यालय उद्योग परिषद्, आदि से संपर्क स्थापित करेगा।
- एनआईडी डिजाइन क्लिनिक से संबंधित नैतिक विषयों संबंधी कार्य भी करेगा। यह निष्पक्ष रहेगा और डिजाइन तथा अन्य उद्योग संबंधी विषयों की उत्कृष्ट समझ विकसित करेगा।
- एनआईडी शीर्ष निकाय को योजना की सम्पूर्ण प्रगति की माह में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह किसी भी प्रकार के अप्रतिक्रियात्मक व्यवहार अथवा लाभार्थियों एवं डिजाइनरों की किसी भी असंतोषकारी कार्यनिष्पादन के संबंध में एक्सप्रेशन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी प्रस्तुत करेगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर योजना के निर्बाध एवं त्वरित कार्य को सुगम बनाने के लिए योजना के तहत परिकल्पित भारत सरकार के अनुदान की कुल राशि को एनआईडी द्वारा पहले से जारी किए गए तथा प्रस्तुत की गई अपेक्षा के अनुरूप फंडों की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद पीएमएसी की सिफारिशों पर एनआईडी को आवधिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा।
- एनआईडी योजना की निधियों के एक पृथक लेजर एकाउंट बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। यह एकाउंट भारत के सीएण्डएजी, एमएसएमई मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा अथवा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
- योजना के कार्यान्वयन की प्रगति तथा संबंधित डिजाइनरों के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर तैयार की गई रिपोर्टों के अनुसार एनआईडी लाभार्थियों/डिजाइनरों को सीधे निधियां जारी करेगा। यह

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय को निर्धारित प्रारूप (जीएफआर-19-ए) में आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा।

- निजी क्षेत्र में एनआईडी एक निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक आर्थिक उपायों की खोज करेगा।
- एनआईडी एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें मूल्य सृजन को स्पष्टतया दर्शाया गया हो तथा प्रत्येक परियोजना के लिए लाभार्थियों और नियोजित फंडों की सही सूची भी बनाएगा।
- एनआईडी भविष्य में प्रयोग करने के लिए सभी संप्रेषणों, परिणामों, रिपोर्टों, लर्निंग का भी प्रलेखन करेगा।
- एनआईडी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी अन्य कार्यकलाप, जैसा कि पीएमएसी द्वारा निर्णय किया गया है, भी करेगा।
- एनआईडी पीएमएसी द्वारा अनुमोदित मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

6.6 डिजाइन क्लिनिक केन्द्र

- डिजाइन क्लिनिक केन्द्रों की स्थापना डिजाइन क्लिनिक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की जाएगी। केन्द्र मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह योजना के तहत सभी कार्यकलापों का प्रेरक होगा।

6.7 डिजाइन प्रादेशिक केन्द्र

- डिजाइन क्लिनिकों की प्रशासनिक देखरेख के लिए एनआईडी द्वारा आरंभिक रूप से चार प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- डिजाइन इन्टरवेंशनों की संभावना रखने वाले एमएसएमई क्लस्टरों की सघनता को ध्यान में रखते हुए पी.एम.ए.सी. द्वारा स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों का निर्णय करेगा।
- इन प्रादेशिक केन्द्रों का प्रचालन सक्षम तकनीकी संस्थानों/एजेन्सियों के माध्यम से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
- यह प्रादेशिक केन्द्र डिजाइन क्लिनिक केन्द्र के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और इनका अनुवीक्षण डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा किया जाएगा।
- प्रादेशिक केन्द्रों की विशिष्ट भूमिका निम्नानुसार होगी:
  - डिजाइन के महत्व के संबंध में सामान्य जागरुकता उत्पन्न करना एवं संवेदी बनाना।
  - एमएसएमई के लिए संगोष्ठियों का संचालन करना।
  - एमएसएमई के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

- एमएसएमई/डिजाइन कम्पनियों/शिक्षण संस्थानों के लिए डिजाइन क्लिनिक आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाना और उनका मार्गदर्शन करना।

6.7 मूल्यांकन पैनल

- डिजाइन क्लिनिक केन्द्र द्वारा एक मूल्यांकन पैनल गठित किया जाएगा।
- प्रत्येक मूल्यांकन पैनल का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।
- डिजाइन क्लिनिक के दूसरे साल के बाद से मूल्यांकन पैनल में पहले वर्ष के लाभार्थियों में से कुछ लोग भी शामिल किए जाएंगे।
- मूल्यांकन पैनल में डिजाइनर और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- इसके प्रकार्य आवेदनों का मूल्यांकन करना, सिफारिशें करना तथा अनुमोदित आवेदनों का अनुवीक्षण करना है।
- मूल्यांकन पैनल में सदस्य/विशेषज्ञ होंगे और उन्हें जैसा पी.एम.ए.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया है, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मानदेय, आदि का भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध—1

डिजाइन क्लिनिक योजना फंडिंग सहायता हेतु आवेदन

(अपने आवेदन की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन प्रपत्र पूरा भरा गया है। सूचना उपलब्ध न होने अथवा लागू न होने की स्थिति में कृपया तद्नुसार सूचित करें। कृपया प्रपत्र में वांछित सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करें)

भाग 1—एमएसएमई डाटा

1. सामान्य

(क) कम्पनी का पंजीकृत नाम: _____

_____

(ख) पत्राचार का पता और दूरभाष:_____

_____

(ग) पंजीकृत (के रूप में) (कृपया निशान लगाएं)

एकमात्र स्वामी——— भागीदारी———

प्राइवेट लि. ——— अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)———

(घ) व्यावसायिक कार्यकलाप: _____

_____

(ङ) कार्मिक स्थिति एवं प्रमुख कार्यकारियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि _____

_____

2. बिक्री एवं लाभ

(क) विगत 3 वर्षों के लिए कुल वार्षिक बिक्री एवं लाभ (कृपया वित्तीय विवरणियों की एक प्रति संलग्न करें): _____

_____

(ख) अगले 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपित बिक्री एवं लाभ (वर्तमान वर्ष को छोड़कर): _____

_____

3. संपर्क व्यक्ति

(क) नाम एवं पदनाम: _____

_____

(ख) संपर्क विवरण: (पता, दूरभाष, ई-मेल, मोबाईल नं.): _____

_____

4. क्या डिजाइन क्लिनिक से पहले कभी एमएसएमई को किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता दी गई है? यदि हां, तो शामिल सभी परियोजना संदर्भों एवं निधियन राशि को सूचीबद्ध करें। कृपया अनुमोदन हेतु लंबित अन्य डिजाइन क्लिनिक आवेदनों को भी सूचीबद्ध करें। _____

_____

5. क्या एमएसएमई के स्वामी/भागीदार/निदेशक को डिजाइन क्लिनिक से किसी अन्य एमएसएमई के नाम से कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हां, तो सभी परियोजना संदर्भों को सूचीबद्ध करें। _____

_____

6. कृपया कोई अन्य सहयोगी सूचना प्रदान करें (यदि कोई हो) _____

_____

भाग II—डिजाइन कम्पनी/शिक्षण संस्थान डाटा

1. सामान्य

(क) नाम: _____

_____

(ख) पत्राचार का पता और दूरभाष:_____

_____

(ग) व्यावसायिक/अकेडेमिक कार्यकलाप: _____

_____

(घ) कार्मिक स्थिति एवं प्रमुख कार्यकारियों/अकेडेमिक संसाधनों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि:_____

_____

2. डिजाइन विशेषज्ञता

(क) अनुभव एवं विशेषज्ञता: _____

_____

(ख) अनुप्रयुक्त परियोजना के लिए विशेषज्ञता की उपयुक्तता:_____

_____

3. संपर्क व्यक्ति

(क) नाम एवं पदनाम: _____

_____

(ख) संपर्क विवरण: (पता, दूरभाष, ई-मेल, मोबाईल नं.):_____

_____

4. परामर्शदाता(ओं) का नाम एवं पदनाम (कृपया प्रत्येक परामर्शदाता की सीवी संलग्न करें)

(क) _____

(ख) _____

(ग) _____

भाग III—परियोजना संबंधी विवरण

1. **परियोजना का शीर्षक और विवरण** (कृपया परामर्शदाता प्रस्ताव और अतिरिक्त सूचना की एक प्रति, यदि आवश्यक हो, संलग्न करें):_____

_____

2. **परियोजना संबंधी तय किए गए उद्देश्य:**_____

_____

3. **नए उत्पाद के लिए विपणन योजनाएं :** _____

_____

4. **आरंभ करने की तिथि :** _____ (दिन/माह/वर्ष)

5. **अवधि :** _____ (श्रम दिवस)

6. कृपया किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा ऐसे कार्यों की लागत का ब्योरा दें। अन्य सूचनाएं जैसे कि समयावधि और अपेक्षित श्रमशक्ति (उदाहरण के तौर पर श्रम-दिवस) भी सहायक होंगी। संगत दस्तावेज, जैसे कि कोटेशन, परियोजना का संक्षेप अथवा कान्ट्रैक्ट भी दिए जाने चाहिए:_____

_____

7. कृपया परियोजना के आउटकम के व्यावसायीकरण संबंधी संक्षिप्त प्लॉन प्रस्तुत करें: _____

_____

8. कृपया परियोजना आउटकम (उदाहरणत: पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आदि) के बौद्धिक संपदा अधिकार पाने का अभिप्रेत सूचित करें: _____

_____

हां : ☐ नहीं : ☐

बौद्धिक संपदा अधिकार का फार्म: _____

9. **अपेक्षित बजट और लागत का ब्यौरा:**

अनुमानित व्यय संबंधी विवरण: _____

_____

एमएसएमई का अंशदान: _____

_____

प्रार्थित सकल राशि: _____

_____

भाग IV—उद्घोषणा

मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि

(क) इस आवेदन में प्रदान की गई सभी तथ्यात्मक सूचनाएं तथा साथ ही साथ सहयोगी सूचना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि की स्थिति के अनुसार हैं। यदि उपरोक्त सूचना में बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैं तत्काल डिजाइन क्लिनिक केन्द्र को सूचित करूंगा; एवं

(ख) आवेदन में प्रस्तावित परियोजना मौलिक है और यह अन्य वैयक्तिकों और/अथवा संगठनों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के विधिसम्मत अथवा संभावी अधिनियम का उल्लंघन नहीं करती है।

मुख्य आवेदक

संगठन/कम्पनी मुहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	हस्ताक्षरकर्ता का नाम
	स्थिति
आवेदक का नाम (संगठन/कम्पनी)	तिथि (दिन/माह/वर्ष)

सह आवेदक

संगठन/कम्पनी मुहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	हस्ताक्षरकर्ता का नाम
	स्थिति
आवेदक का नाम (संगठन/कम्पनी)	तिथि (दिन/माह/वर्ष)

भाग V—डिजाइन परामर्शदाता द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि

(i) (उन परामर्शदाताओं के लिए जो वैयक्तिक हैं, इसमें एकमात्र स्वामित्व शामिल है)

मैं तृतीय पक्ष परामर्शदाता हूं और मैं आवेदक अथवा आवेदक से संबद्ध किसी भी कम्पनी का नियोक्ता अथवा कोई संयुक्त उद्यम भागीदार अथवा आवेदक का एजेन्ट नहीं हूं।

(ii) (उन परामर्शदाताओं के लिए जो भागीदार/कम्पनी हैं)

हम परामर्शी व्यवसाय हैं, जो आवेदन से संबंधित नहीं है। हमारे किसी भी भागीदार/निदेशक अथवा शेयरहोल्डर अथवा हमारे परामर्शदाता का आवेदक से न तो कोई हित सम्बद्ध है और न ही कोई आवेदक अथवा आवेदक से संबद्ध किसी भी कम्पनी का नियोक्ता अथवा कोई संयुक्त उद्यम भागीदार अथवा आवेदक का प्रिंसिपल अथवा एजेन्ट है।

(iii) इस आवेदन तथा संलग्न सामग्री में प्रस्तावित परामर्शी परियोजना से संबंधित उल्लिखित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं और किसी भी तथ्य को न तो छिपाया गया है और न ही तोड़ा मरोड़ा गया है।

(iv) मैंने/हमने प्रस्तावित परामर्शी परियोजना के संबंध में आवेदक को अथवा इसके निदेशकों, अथवा शेयरहोल्डरों अथवा उपरोक्त व्यक्तियों से संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति को चाहे वह नकद अथवा अन्य किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार की कोई 'मनीज' या 'रुपये पैसा', रिबेट, डिस्काउंट, रीफंड, आर्थिक हानियां अथवा भुगतान देने का कोई इरादा नहीं है।

_____	_____
एकल स्वामी/भागीदार/कम्पनी निदेशक/प्र.नि./सीईओ* के हस्ताक्षर	कम्पनी की मुहर
_____	_____
नाम	तिथि

भाग VI—एमएसएमई द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि:

(1) कंपनी ने प्रस्तावित परामर्श परियोजना के लिए किसी भी अन्य कर वित्तीय/प्रोत्साहन के लिए आवेदन नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है या; प्राप्त नहीं करेगी,

(2) कंपनी प्रस्तावित परियोजना के लिए किसी भी मुकदमेबाजी से मुक्त है; और

(3) इस आवेदन में तथा संलग्न सूचना में वर्णित सभी तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं और किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया या मिथ्यावर्णन नहीं गया है।

_____	_____
एकल स्वामी/भागीदार/कम्पनी निदेशक/प्र.नि./सीईओ* के हस्ताक्षर	कम्पनी की मुहर
_____	_____
नाम	तिथि

अनुबंध-2

डिजाइन क्लिनिक योजना

अनुमोदित परियोजना की प्रगति रिपोर्ट

भाग I—मूलभूत सूचना

1.1 **(प्राप्त करने वाले संगठन/कम्पनी) द्वारा प्रस्तुत:**_____

_____

1.2 **परियोजना का शीर्षक:**_____

_____

1.3 **परियोजना संदर्भ:** _____

_____

1.4 **रिपोर्ट की अवधि:**

_____ से _____ तक

भाग II—परियोजना संबंधी सूचना

2.1 **परामर्शदाता का नाम/संपर्क व्यक्ति:**_____

_____

2.2 **परियोजना समन्वयक** (नाम/दूरभाष/ई–मेल/मोबाईल) **:**_____

_____

2.3 **आरंभ करने की तिथि:** ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

2.4 **लक्ष्य पूर्ति की वास्तविक तिथि:** ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

2.5 **पूर्ति की संशोधित तिथि:** ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

2.6 **पूर्ति की वास्तविक तिथि:** ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

यदि पूर्ति की वास्तविक तिथि लक्ष्य प्राप्ति की वास्तविक तिथि (अथवा पूर्ति की संशोधित तिथि, यदि कोई हो, तो) से भिन्न है, तो कृपया स्पष्टीकरण प्रदान करें।

2.7 **परियोजना का अद्यतन सार:**_____

_____

भाग III—परियोजना संबंधी सूचना

3.1 **वित्तीय स्थिति:**

3.1.1 मानवशक्ति व्यय:

विषय	बजट व्यय	इस रिपोर्ट अवधि के लिए वास्तविक व्यय	टिप्पणियां

3.1.2 उपकरण:

विषय	बजट व्यय	इस रिपोर्ट अवधि के लिए वास्तविक व्यय	टिप्पणियां

3.1.3 अन्य प्रत्यक्ष लागतें:

विषय	बजट व्यय	इस रिपोर्ट अवधि के लिए वास्तविक व्यय	टिप्पणियां

3.2 **एमएसएमई द्वारा अंशदान:**_____

_____

3.3 **प्राप्त फंड:**_____

_____

3.4 **अपेक्षित शेष:**_____

_____

भाग IV—परियोजना संबंधी प्रगति

4.1 इस तिथि तक परियोजना की प्रगति

(कृपया अपने प्रस्ताव में किए गए निर्धारण के अनुसार सुपुर्दगियों के संबंध में प्रगति संबंध में प्रगति संबंधी विवरण प्रदान करें)_____

_____

4.2 परियोजना के लाभान्वितों से फीडबैक

4.2.1 एमएसएमई के लिए: _____

4.2.2 परामर्शदाता के लिए: _____

4.3 परियोजना के कार्यानवयन में सम्मुख आई समस्याएं (यदि कोई हो):_____

_____

4.4 टिप्पणियां एवं सुझााव: _____

_____

अनुबंध-3

डिजाइन क्लिनिक मूल्यांकन फार्म

मूल्यांकन संबंधी मानदंड चार चरणों में विभक्त किए गए हैं, अर्थात

- कार्यनीति,
- अवधारणा,
- विस्तृत डिजाइन, और
- कार्यान्वयन

ये चरण डिजाइन संबंधी चरणों के अनुरूप हैं। प्रत्येक चरणों में मूल्यांकन अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक चरण अगले चरण के संबंध में सूचित करता है। इन चरणों की पहचान डिजाइन क्लिनिक परियोजना सहायता भुगतान शेड्यूल से होती है।

चरण 1 : कार्यनीति

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
अनुभाग क—समस्या की पहचान करना			
1.	अनुसंधान (मौजूदा उत्पाद/सामग्रियां एर्गोनोमिक/एन्थ्रोपोमेट्रिक्स/किन्सिया-लॉजी/मार्केट ट्रेन्ड सोशियोलॉजी/ साइकोलॉजिकल)		/15
2.	अनुसंधान विश्लेषण		/15
3.	डिजाइन संबंधी संक्षिप्त मानदंड/आवश्यकता संबंधी मेथोडोलॉजी लक्ष्य/चुनौतियां		/20
अनुभाग ख—कार्यनीतिक अवलोकन			
4.	उत्पाद की संभावना और मार्केट सेगमेंट		/5
5.	मार्केट सेगमेंट का महत्त्व • सांस्कृतिक, नैतिक एवं सौन्दर्यस्त्रीय मूल्य		/5

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
6.	मार्केट स्ट्रेन्थ ● क्या यह उत्पाद मार्केट गैप को पूरा कर रहा है? ● मार्केट आकार एवं वृद्धि ● प्रक्षेपित मार्केट अंश ● मार्केट के साथ व्यवसाय की मौजूदा समामेलन		/20
7.	डिजाइन विशिष्टीकरण ● डिजाइन संबंधी बाधाएं ● सृजनात्मक निर्देशन (शैली, सामग्री, टोन, उपयोगिता आदि) ● परियोजना प्रबंधन (बजट अनुसूची और डेडलाइन, समूह संबंधी विवरण, आदि		/20
8.	समस्त रेटिंग		/100

चरण 2 : अवधारणा

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
	अनुभाग क – समस्या की पहचान करना		
1.	वास्तविकता ● अवधारणा के रूप का आकार ● आविष्कारक विचार एवं अवधारणाएं		/15
2.	सौंदर्यशास्त्र ● सुंदर ● सार्थक		/15
3.	एर्गोनॉमिक्स ● जोखिम एवं मानवीय गलतियों की समाप्ति ● मानवीय सीमाओं के अनुरूप (भौतिक एवं स्थायी) ● एनथ्रोपोमेट्रिकल उपयुक्तता (स्थिति एवं गति) ● उपयोग का तरीका–स्पष्ट औपचारिक तत्वों ● सम्पूर्ण संगति प्रदर्शन–नियंत्रण ● प्रकार, शोर अथवा गंध से होने वाली परेशानियों को कम करना		/15
4.	प्रकार्यात्मकता ● उत्पाद की तकनीकी विशेषताएं नहीं ● उत्पाद की उचित प्रकार्यात्मकता के लिए उत्पाद शैली से संबंधित तत्वों का योगदान ● उत्पाद शैली (आकार, टेक्सचर, रंग, ध्वनि, आदि) की दृष्टि से निष्पादन संबंधी मानदंडों की सूची		/15

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
5.	विपणन योग्यता ● अंतिम संभावना ● मार्केट सेगमेंट जिसके लिए उत्पाद बनाया गया है ● विपणन कार्यनीति ● वाणिज्यिक उत्पाद सामग्री के लिए संसाधन		/15
6.	विनिर्माणयोग्यता ● विनिर्माण संबंधी दृष्टिकोण से उत्पाद के औपचारिक तत्व		/15
7.	श्रेणी ● नए बाजार के लिए नए उत्पाद ● परिचित बाजार के लिए नए उत्पाद ● नए बाजारों के लिए परिचित उत्पाद ● परिचित उत्पादों के लिए परिचित बाजार		/10
8.	समस्त रेटिंग		/100

चरण 3 : डिजाइन संबंधी विवरण

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
1.	प्रकार्यात्मक–डिजाइन की गई वस्तु आवश्यक गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरे	प्रकार्यात्मक/ अप्रकार्यात्मक	/10
2.	महत्व–डिजाइन की गई वस्तु के गुण उत्पाद भाषा स्वयं के बारे में संदेश के रूप में प्रेषित करे	''उच्च गुणवत्ता'', ''यह मेरे लिए ठीक है'', ''शानदार'', ''सस्ता'', ''महंगा'', ''दक्ष डिजाइन'' आदि	/10
3.	मानव–तुल्य–डिजाइन वस्तु के गुण मानव के साथ तुलनीय होने चाहिए	मामूली/मानव तुल्य/ विशाल	/02
4.	संतुलन–एक परिधि वाले केन्द्र डिजाइन की गई वस्तु की सर्वोत्तम संगठनात्मक स्थिति	अच्छी तरह से संतुलित/असंतुलित	/03
5.	अनुपात–आकार के आयाम का अनुपात	आनुपातिक/अनुपात विहीन	/03
6.	दिशा–वस्तु के अधिकतम आयाम की दिशा	क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर/तटस्थ	/02
7.	औपचारिक संबद्धता–कई स्तरों, आकार, बनावट, प्रतिमान, रंग आदि पर उत्पाद के औपचारिक तत्वों के गुण के प्रदर्शन में सामंजस्य	औपचारिक संबद्धता/ अनौपचारिक संबद्धता	/03

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
8.	विशिष्टता–अपने वातावरण में पहचान बनाने की शैली	विशिष्ट/अविशिष्ट	/05
9.	सघनता–सभी औपचारिक तत्वों को एकीकृत करते हुए न्यूनतम मात्रा लेने का आकार संबंधी गुण	विछिन्न/अविछिन्न	/05
10.	जटिलता–औपचारिक भिन्नता की मात्रा	सरल/जटिल	/05
11.	चारूता–वस्तु का डिजाइन सरल परन्तु भावयुक्त, आकार और रंग	चारूतापूर्ण/सरल/तुच्छ	/02
12.	उच्चारण–उत्पाद की विशेषता जो उसे समग्र स्वरूप में भिन्न दर्शाती है	(उच्चारण विशेषता की सूची)	/10
13.	सामंजस्य–इसी तरह के तत्वों की पुनरावृत्ति जो गतिशीलता की छाप देती है	(सामंजस्य तत्वों की विशेषताएं)	/10
14.	विस्तृत फिनिश–सतहों, कवरिंग और जोड़ों की गुणवत्ता	प्रथम श्रेणी/खुरदरा	/10

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
15.	उद्भव का स्रोत अमूर्त प्राकृतिक डिजाइनर द्वारा अपने उत्पाद के लिए औपचारिक अवधारणा हेतु प्रयोक्त स्रोत	ज्यामितीय/आर्गेनिक/ प्रकृति की नकल/ शैलीकृत/प्रकृति से सुझाव प्राप्त करके	/02
16.	अस्थायी उन्मुखीकरण–औद्योगिक डिजाइन के विकास में संदर्भ के रूप में ली गई अवधि	अग्रसर/वास्तविक/ पारंपरिक/रेट्रो	/02
17.	डिजाइनर का रवैया–वह तरीका जिससे डिजाइनर अपने निर्माण के बारे में अपने इरादों, आशाओं और भावनाओं को व्यक्त करता है	''विनोदी'', ''पैरोडिकल'', ''जिंदादिल'' आदि	/03
18.	मौलिकता–वस्तु के डिजाइन की स्थिति जिससे वह अपने तरह के उत्पादों में अलग दिखती है	मूल/नकल	/15
19.	परिचय/नवीनता अनुपात–उत्पाद की सफलता के लिए कारक। उत्पाद के विभिन्न वर्गों के लिए इसके मूल्य भिन्न होते हैं	(श्रेणी के अनुसार सर्वोत्तम मूल्य)	/05
20.	सकल रेटिंग		/100

चरण 4 : कार्यान्वयन

क्र.सं.	विषय	टिप्पणियां	रेटिंग/अधिकतम रेटिंग
1.	मूलरूप ● प्रयोक्ता अनुसंधान/बाजार में परीक्षण ● तकनीकी परीक्षण, विनिर्माण योजना, ● बाजार प्रवेश योजना		/40
2.	परियोजना मूल्यांकन, उद्देश्य बनाम प्राप्ति, श्रेणी, विश्व के उत्पाद के लिए नया, नया उत्पाद, मौजूदा उत्पाद में सुधार, मौजूदा उत्पाद का संवर्धन, लागत में कमी, प्रतिस्थापन		/20
3.	डिजाइन सफलता ● कठोर उपायों में भाग, बिक्री के आंकड़ें, प्राप्त अनुबंध या उत्पदित इकाइयों की संख्या शामिल हो सकते हैं ● आसान उपायों में ग्राहक और आपूर्तिकर्ता की राय, उपभोक्ता की धारणाओं में बदलाव, बाजार की स्थिति में परिवर्तन, डिजाइन के लिए प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रियाएं और सामान्य प्रतिक्रियाएं शामिल हो सकते हैं		/40
4.	सकल रेटिंग		/100

अनुबंध-4

डिजाइन क्लिनिक योजना
अनुमोदित परियोजना की समाप्ति रिपोर्ट

भाग I—मूलभूत सूचना

जमाकर्ता (प्राप्तकर्ता संगठन/कंपनी):_____

_____

परियोजना का शीर्षक:_____

_____

परियोजना संदर्भ: _____

_____

रिपोर्ट की अवधि:

_____ से _____ तक

भाग II—परियोजना संबंधी सूचना

परामर्शदाता का नाम/संपर्क व्यक्ति:_____

_____

परियोजना समन्वयक (नाम/दूरभाष/ई–मेल/मोबाईल)_____

_____

आरंभ करने की तिथि: ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

लक्ष्य पूर्ति की वास्तविक तिथि: ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

पूर्ति की संशोधित तिथि: ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

पूर्ति की वास्तविक तिथि: ———————————— (दिन/माह/वर्ष)

यदि पूर्ति की वास्तविक तिथि लक्ष्य प्राप्ति की वास्तविक तिथि (अथवा पूर्ति की संशोधित तिथि, यदि कोई हो, तो) से भिन्न है, तो कृपया स्पष्टीकरण प्रदान करें।

भाग III—परियोजना संबंधी लेखा

कृपया लेखा परीक्षित अंतिम वित्तीय विवरण संलग्न करें

व्यय:_____

_____

एमएसएमई द्वारा अंशदान:_____

_____

प्राप्त फंड: _____

_____

अपेक्षित अथवा वापस किया गया शेष:_____

_____

उपलब्धि एवं सुपर्दगियां: _____

_____

परियोजना के लाभान्वितों से फीडबैक

एमएसएमई के लिए

_____

परामर्श के लिए

_____

परियोजना के कार्यान्वयन में सम्मुख आई समस्याएं (यदि कोई हो)

_____

परियोजना के बाद की कार्रवाई (यदि कोई हो)

(कृपया परियोजना के बाद की अपेक्षित कार्रवाई सूचीबद्ध करें)

_____

टिप्पणियां एवं सुझाव

_____

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

wwww.dcmsme.gov.in

उद्यमी हेल्पलाइन नं.: 1800-180-6763 (टोल फ्री)